संख्या-147/2021/2310/30-3-2021

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2021

विषय : उत्तर प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस योजना (VLTD) के क्रियान्वयन हेतु डीम्ट्स को कंसल्टेंट के कार्य हेतु कुल देय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-185प्रावि0/2021-29प्रावि0/2021, दिनांक 30 मार्च, 2021 एवं पत्र संख्या-44(जी)प्रावि0/2021-83प्रावि0/2017, दिनांक 20 जुलाई, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस योजना (VLTD) के क्रियान्वयन हेतु डीम्ट्स के दोनों कंसल्टेंट के समझौते के अनुसार परिवहन आयुक्त कार्यालय में कार्य करने की स्थिति में डीम्ट्स को 01 वर्ष में कुल देय धनराशि रू0 59,64,192/- (जी0एस0टी0 सहित) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कंसल्टेंट को देय धनराशि की गणना एम0ओ0यू0 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष "5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय के उपशीर्ष 06-व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु निर्भया फण्ड से प्राप्त केन्द्रांश से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-9-999/दस-2021/2022, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-147/2021/2310(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।